संख्या- 13/2020/1251/ 46-2-20-102 (3)/ 2020

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2020

विषय- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू.20/-करोड़ (रूपया बीस करोड़) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-2241/यू.पी.एफ./प्र.प्र.(लेखा)/2020-21 दिनांक 24.08.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.25/- करोड़ (रूपया पचीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-9/2020/1008/46-2-102(3)/2020 दिनांक 23.07.2020 के माध्यम से रू.5/- करोड़ (रूपया पांच करोड़ मात्र) अवमुक्त किया जा चुका है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू.20/-करोड़ (रूपया बीस करोड़) को ऋण के रूप में व्यय करने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगॉठ तिथि को की जानी होगी।

(v) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा और धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी।

2. उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

4. संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

5. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

6. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

7. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

8. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

9. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा सहकारी चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं रखरखाव हेतु व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-05-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-659/दस-2020 दिनांक 10 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2020/1251(1)/46-2-20 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।